# अध्यक्ष काउंसिलिंग समिति एवं संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

## चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

**सत्र 2011–2012 में ऑनलाईन ऑफ–कैम्पस काउंसिलिंग से बीई पाठ्यक्रम में प्रवेश**

पीईपीटी 2011 के परीक्षा परिणाम के आधार पर बीई पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाईन ऑफ–कैम्पस काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही संपादित की जा रही है। उम्मीदवारों, उनके अभिभावकों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए की जा रही प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता महसूस हो रही है। उम्मीदवारों, उनके अभिभावकों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि निम्न तालिका में दी जा रही जानकारी का अध्ययन कर काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होवें।

| क्र. | पाठ्यक्रम का नाम | की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही |
|---|---|---|
| 1 | बीई (शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटें) | • ऐसे उम्मीदवार जिन्होंनें व्यापम द्वारा ली गयी प्रवेश परीक्षा में शिक्षण शुल्क छूट योजना का विकल्प भरा था केवल ऐसे उम्मीदवार जो प्रत्येक संस्था में निर्धारित 5 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के इच्छुक हैं उन्हें ही केवल भाग लेना है। इसके लिए निम्न प्रक्रिया करनी होगी –<br>अ. पंजीयन<br>ब. सत्यापन<br>स. इच्छित संस्थाओं का चयन<br>• उम्मीदवारों को केवल पंजीयन के समय रु. 280/– (रु. 30/– पोर्टल सहित) का शुल्क भुगतान करना है। ऐसे उम्मीदवार यदि बी.ई. प्रथमचरण की काउंसलिंग अर्थात सामान्य सीटों पर भी प्रवेश के इच्छुक हैं तो उन्हें पंजीयन के समय रु. 230/– (रु. 30/– पोर्टल सहित) का केवल शुल्क भुगतान करना है।<br>• यदि कोई उम्मीदवार शिक्षण शुल्क छूट योजना की सीटों के समय रु. 280/– (रु. 30/– पोर्टल सहित) के साथ–साथ सामान्य सीटों के लिए पंजीयन शुल्क रु. 480/– (रु. 30/– पोर्टल सहित) का भुगतान कर देगा तो ऐसे उम्मीदवारों को रु. 450/– (पोर्टल शुल्क की राशि को छोड़कर) काटकर शेष राशि उम्मीदवार को वापिस कर दी जावेगी। |
| 2 | बीई–प्रथम चरण काउंसलिंग (शिक्षण शुल्क छूट योजना के अतिरिक्त समस्त सीटें) | • व्यापम द्वारा ली गयी प्रवेश परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को पंजीयन के उपरांत सीधे ही अपनी इच्छित संस्थाओं का चयन कर अपनी प्राथमिकताओं को लॉक करना है। ऐसे उम्मीदवारों को रु. 480/– (रु. 30/– पोर्टल सहित) का शुल्क पंजीयन के समय (शिक्षण शुल्क छूट योजना में पंजीयन करा चुके उम्मीदवारों को रु. 230/–) का भुगतान करना है जबकि च्वाईस लॉकिंग के समय अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को रु. 5100/–(रु. 100/– पोर्टल सहित) का भुगतान करना है।<br>• ऐसे उम्मीदवार जो शिक्षण शुल्क छूट योजना में आवंटन प्राप्त कर आवंटित संस्था में प्रवेश ले लेंगें तो ऐसे उम्मीदवारों को रु. 5000/– की राशि नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी; परन्तु समस्त आरक्षित श्रेणी/ समस्त वर्ग के उम्मीदवारों को पंजीयन उपरांत अपने दस्तावेजों का सत्यापन भी कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात् ही वे अपनी अपनी इच्छित संस्थाओं की प्राथमिकताओं को लॉक कर सकेंगें।<br>• ऐसे उम्मीदवारों को रु. 480/– (रु. 30/– पोर्टल सहित) का शुल्क पंजीयन के समय (शिक्षण शुल्क छूट योजना में पंजीयन करा चुके उम्मीदवारों को रु. 230/–) का भुगतान करना है तथा केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को च्वाईस लॉकिंग के समय रु. 1100/– (रु. 100/– पोर्टल सहित) का भुगतान करना है जबकि शेष उम्मीदवारों को रु. 5100/–(रु. 100/– पोर्टल सहित) का भुगतान करना है।<br>• ऐसे उम्मीदवार जो शिक्षण शुल्क छूट योजना में आवंटन प्राप्त कर आवंटित संस्था में प्रवेश ले लेंगें तो ऐसे उम्मीदवारों को क्रमशः रु. 1000/– अथवा रु. 5000/– जो भी राशि उनके द्वारा च्वाईस फिलिंग के समय भुगतान की गयी होगी, नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी। |
| 3 | बीई (संस्थागत प्राथमिकता सीटें) | • व्यापम द्वारा ली गयी प्रवेश परीक्षा के आधार पर तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने पर अर्हकारी परीक्षा (10+2 की बारहवीं परीक्षा) के आधार पर ऐसे उम्मीदवार जो 79 संस्थाओं में, (जिसकी सूची वेबसाईट पर प्रत्येक वर्ष ली जाने वाली शिक्षण शुल्क की राशि सहित) प्रवेश के इच्छुक हों उन्हें सर्वप्रथम पंजीयन तत्पश्चात् दस्तावेजों का सत्यापन करा कर अपनी इच्छित संस्था/संस्थाओं में निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही करना है।<br>• ऐसे उम्मीदवारों को पंजीयन के समय रु. 480/– (रु. 30/– पोर्टल सहित) का भुगतान करना है। यह पंजीयन राशि केवल संस्थागत प्राथमिकता सीटों के लिए रहेगी तथा इसे शिक्षण शुल्क छूट योजना अथवा सामान्य सीटों के पंजीयन में समाहित नहीं किया जावेगा। |

अध्यक्ष काउंसिलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश